वाणिज्य अ.ज.–643

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / अधी.अ.(वाणिज्य) / अ.अ.–II / 2016–17 / प्रे 4453 दिनांक 2-1-17

आदेश

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना।

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक/ अविविनिलि/ मु.अ. (वाणिज्य)/ अ.अ. (वाणिज्य–II) / 2016–17 / प्रे. 3341 दिनांक 16.09.2016 (वाणिज्य आदेश– 629) द्वारा "मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना" के प्रथम चरण में ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविधुतीकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलु विधुत कनेक्शन हेतु पंजीकरण की अवधि 31 अक्टुबर, 2016 तक निर्धारित की गई थी, जो कि आदेश क्रमांक 3914 दिनांक 28.10.2016 (वाणिज्य आदेश– 635) द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक एवं आदेश क्रमांक 4230 दिनांक 09.12.2016 (वाणिज्य आदेश 641) द्वारा पुनः 31 दिसम्बर, 2016 तक बढायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन की अवधि को **31 जनवरी, 2017** तक बढाया जाता है।

31 दिसम्बर, 2016 तक पंजीकृत आवेदनों के तकनीकी रूप से साध्य होने की स्थिति में डिमाण्ड नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

31 जनवरी, 2017 तक पंजीकृत शेष सभी आवेदनों का सर्वे कर 28 फरवरी, 2017 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जावेगा। आदेश क्रमांक 3341 दिनांक 16.09.2016 (वाणिज्य आदेश– 629) की शेष सभी नियम व शर्ते यथावत् रहेगी।

आज्ञा से

(जे. एस. मान्जू)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
अविविनिलि, अजमेर

d./XEN-II/Comml. Order hindi